

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी - महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या: 02/2020 प्रा0पत्र दिनांक 05.10.2020

अनवान

सुआमोटो रास्ता बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करेड़ा

-:: आदेश ::-

सुआमोटो प्रकरण पर तहसीलदार करेड़ा द्वारा प्रस्ताव अन्तर्गत धारा 131,132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक की परिशिष्ट-‘ए’ एवं तहसीलदार करेड़ा की अभिशंषा का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार ग्राम बेमाली पटवार हल्काबेमाली तहसील करेड़ा के बिलानामआ0नं02111 रकबा 20.00 बीघा गै.मु.मंगरी में सेरकबा 1.10 बीघा भूमि में स्थित ग्राम बेमाली घोड़ाई के तालाब के पास से मुख्य सड़क से देवीपुरा जाने का रास्ता मौके पर चालू हैं। परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शों में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। संबंधित पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया हैं। साथ ही तहसीलदार करेड़ा ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार करेड़ा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम बेमाली पटवार हल्काबेमाली तहसील करेड़ा के बिलानामआ0नं02111 रकबा 20.00 बीघा गै.मु.मंगरी में से रकबा 1.10 बीघा भूमि को मौके पर उक्तानुसार चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में, संलग्न नक्शे एवं परिशिष्ट-‘ए’ में वर्णितानुसार करावें एवं पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

यह आदेश आज दिनांक 05.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

8

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर, करेड़ा

